IJAER/November-December 2016/Volume-5/Issue-3 ISSN: 2278-9677
International Journal of Arts & Education Research

# भारत में बाल श्रमिकों के संवैधानिक अधिकार

**Dr. Liladhar Soni**

Lecturer in Sociology

SPC Government College, Ajmer

**सार**

पृथ्वी पर सभ्यता के विकास के साथ–साथ सामाजिक स्थितियों के प्रति हमारे दृष्टिकोण में भी परिवर्तन आया है। किसी समय जहां हमारी मूलभूत आवश्यकताओं में भोजन वस्त्र व आवास शामिल थे किंतु संसाधनों के विकास के साथ–साथ शिक्षा व चिकित्सा भी मूलभूत आवश्यकता माने जाने लगे हैं। विश्व के विभिन्न देशों व इन देशों के भी अलग–अलग समूहों व वर्गो में आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक इत्यादि आधारों पर अत्यंत विषमता पाई जाती है । यह विषमताएं अनेक सामाजिक वास्तविकताओं के लिये जिम्मेदार होती है, इन्हीं विषमताओं व अभावों के कारण विभिन्न सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इन समस्याओं के प्रति समय, काल व परिस्थितियों के परिवर्तन के साथ विद्वानों व आम जनता का दृष्टिकोण भी बदलता रहता है। ऐसी ही एक समस्या जो वर्तमान वैश्विक सभ्यता को चुनौती दे रही है, वह है बाल श्रम।

**कुंजी शब्दः बाल श्रम**, **अधिकार**, संविधान

प्रत्येक शिशु जन्म के समय केवल एक जैविकीय इकाई होता है जो समाज के संपर्क में आकर धीरे–धीरे एक सामाजिक इकाई बन जाता है। बड़े होने पर समाज में उसकी भूमिका बाल्यावस्था में उसके समाजीकरण की स्थितियों पर निर्भर करती है। बच्चे समाज के सफल नागरिक बन सके इसलिए आवश्यक है कि उन्हें बाल्यावस्था में ऐसा वातावरण दिया जाये जो उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करता हो तथा जिसमें उनके सर्वांगीण विकास की संभावनाएं हो, शिक्षा, चिकित्सा, भोजन, आवास, खेलकूद, मनोरंजन इत्यादि की सुविधाएं भी हो किंतु वर्तमान विश्व में बच्चों की एक बहुत बड़ी संख्या दो वक्त के भोजन से भी वंचित है और विभिन्न सामाजिक– सांस्कृतिक व आर्थिक कारणों से मजबूर होकर श्रमिक के रूप में अपना बचपन व्यतीत कर रही हैं।

**समाज विज्ञान शब्द कोष** के अनुसार बच्चों द्वारा स्वयं के या परिवार के भरण पोषण के लिये किया जाने वाला कार्य जब प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उनके विकास और शिक्षा संबंधी कार्यो में अवरोध पैदा करता है, तब वह बाल श्रम की कोटि में आ जाता है। **अन्तर राष्ट्रीय श्रम संगठन** (1983) के अनुसार वे बच्चे बाल श्रमिक हैं जो कच्ची उम्र में प्रौढ़ो जैसी जिंदगी जीते हैं। लंबे समय तक कम वेतन पर ऐसी स्थितियों में काम करते हें जो उनके शारीरिक और मानसिक विकास में बाधक है और उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर डालती है। कभी–कभी अपने माता–पिता से बिछुड़ कर अथवा दूर रहकर कार्य करते हैं। अधिकतर उद्देश्य पूर्ण शिक्षा और प्रशिक्षण के ऐसे अवसरों से वंचित रहते हैं जो उनके भविष्य के लिए आवश्यक है। आई एल ओ के अनुसार 5–17 वर्ष तक की आयु के बच्चे कार्य और कार्य की दशाओं के आधार पर बाल श्रमिक माने जा सकते हैं। बाल श्रम मापने के दो तत्व हैं – 1– आयु, 2– कार्य (उत्पादन गतिविधियां)। बाल श्रम पर अन्तर राष्ट्रीय श्रम मानक (International labour standard on child labour) देशों को अपने यहां बाल श्रम पर सामान्य प्रतिबंध के व्यावहारिक प्रयोग पर छूट प्रदान करता है, इसलिए बाल श्रम के वैश्विक व्यावहारिक प्रयोग के लिए कोई समान कानूनी परिभाषा नहीं हो सकती है। भारत में बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 के अनुसार व्यावसायिक गतिविधियों में कार्यरत 14 वर्ष से कम आयु का बालक बाल श्रमिक हैं।

## संवैधानिक प्रावधान

भारत ने बाल श्रम की समस्या से निपटने के लिए हमेशा सकारात्मक नीति का अनुपालन किया है। बाल श्रम के प्रति गहरी चिंता भारत के संविधान के प्रावधानों में स्पष्ट रूप से झलकती है। भारतीय संविधान बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान करता है व बलात् श्रम और बाल श्रम का निषेध करता है। इससे संबंधित प्रमुख संवैधानिक प्रावधान निम्न

### अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता का अधिकार

राज्य भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।

### अनुच्छेद 23 मनुष्य के अवैध व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध

मनुष्यों के अवैध व्यापार और बेगार एवं सभी प्रकार का बलात् श्रम प्रतिबंधित है। इस उपबंध की अवहेलना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय है।

**अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध**

चौदह वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा।

**अनुच्छेद 39 राज्य अपनी नीति का, विशिष्टतया, इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से –**

(ड)– पुरूष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरूपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हो।

(च)– बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएं और बालकों और अल्पवय व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए।

**अनुच्छेद 45 बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान**

राज्य, इस संविधान के प्रारंभ से दस वर्ष की अवधि के भीतर सभी बालकों को चौदह वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा।

**अनुच्छेद 21(क) शिक्षा का अधिकार**

संविधान के 86 वें संशोधन, वर्ष 2002 के द्वारा बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया।

विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद भारत में बाल श्रमिकों की संख्या में वृद्धि हो रही है जबकि सरकार इस समस्या को दूर करने के लिये गंभीर होती जा रही है। भारत में बाल श्रम की समस्या का सीधा संबंध गरीबी व निरक्षरता से है। जब तक हर परिवार की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं होगी तब तक

केवल संवैधानिक व कानूनी प्रयासों के माध्यम से बाल श्रम को रोकने में पूर्ण सफलता की प्राप्ति असंभव प्रतीत होती है। हमारे देश में बच्चे अनेक तरह के व्यवसाय में संलग्न है, बच्चे अपने परिवार की सहायता के लिए परिवार के सदस्यों के साथ मिल कर काम करते हैं। मजदूरी के लिए दूसरे व्यक्तियों के पास काम करते हैं और कभी कभी प्रवासी मजदूर के रूप में भी काम करते पाए जाते हैं। बहुधा ऐसे कुछ बच्चों की गिनती मजदूरों के रूप में नहीं हो पाती है क्योंकि काम करने वाले ऐसे बच्चे अदृश्य रहते हैं।

**सन्दर्भ ग्रन्थ सूची**

दिलीप जाखड़, ''मानवाधिकार'', 2003, युनिवर्सिटी बुक हाउस प्रा. लि. जयपुर।

प्रदीप त्रिपाठी, ''मानवाधिकार और भारतीय संविधान'', 2002, राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।

सुभाष शर्मा, ''भारत में बाल–मजदूर'' 2006, प्रकाशन संस्थान नई दिल्ली

उषा सिंह एवं एच.पी.सिंह, ''भारत में बाल श्रम समस्याएं और समाधान'', 2007, क्लासिकल पब्लिशिंग कंपनी, नई दिल्ली।

B.K. Singh, "Child labour", 2006, Adhyayan Publishers and Distributors, Delhi.

C.K. Shukla and S.Ali, "Encyclopedia of Child Labour Priorities for 21st century", 2000, Sarup and Sons, New Delhi Vol.1-3.

The Constitution of India, 1950.